प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय:-जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमवीर पुत्र श्री नन्नूमल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमवीर पुत्र श्री नन्नूमल, डोरी नगर, थाना-गॉधीपार्क, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 02-05-2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजवीर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1120/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 07.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.2022 तक 14 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के ऊपर 05 अन्य वाद लम्बित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बन्दी के शातिर किस्म का अपराधी होने व जनपद के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी आदि के करीब 03 दर्जन अपराध किये जाने, बंदी व मृतक के परिवार के मध्य पुरानी रंजिशों के कारण पुन: तनाव बढ़ने व किसी आपराधिक घटना घटित होने से इंकार नहीं किये जाने, जमानत के दौरान अपराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जमानत के दौरान अपराध कारित किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 02-05-2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजवीर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा जमानत के दौरान अपराध कारित किये जाने, रिहा होने पर दोनों पक्षों के मध्य तनाव बढ़ने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सोमवीर पुत्र श्री नन्नूमल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमवीर (बन्दी संख्या-672/16) पुत्र श्री नन्नूमल, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बंदी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-45/2023/3608(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बॉदा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-45/2023/3608/22-2-2022-17(1592)/2022

दिनांक 21 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमवीर पुत्र श्री नन्नूमल, डोरी नगर, थाना-गॉधीपार्क, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 02.05.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजवीर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1120/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 07.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.2022 तक 14 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के ऊपर 05 अन्य वाद लम्बित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बन्दी के शातिर किस्म का अपराधी होने व जनपद के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी आदि के करीब 03 दर्जन अपराध किये जाने, बंदी व मृतक के परिवार के मध्य पुरानी रंजिशों के कारण पुन: तनाव बढ़ने व किसी आपराधिक घटना घटित होने से इंकार नहीं किये जाने, जमानत के दौरान अपराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जमानत के दौरान अपराध कारित किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 02-05-2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजवीर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा जमानत के दौरान अपराध कारित किये जाने, रिहा होने पर दोनों पक्षों के मध्य तनाव बढ़ने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सोमवीर पुत्र श्री नन्नूमल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।